

## डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा

धन्ना राम जानू\*

### प्रस्तावना

भारत में डिजिटल भुगतानों में अत्यधिक वृद्धि तथा कम नगदी वाला अर्थव्यवस्था का दिशा में अग्रसर होने से देश को वित्तीय साइबर सुरक्षा संरचना को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। विश्व के अधिकांश देश डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि समस्याएँ व असुरक्षा का भय है तो कुशल तकनीक का प्रयोग कर लोगों में जागरूकता व सतर्कता फैला कर इसे सफल बनाया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न बाजार भागीदार एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। साइबर हमलों से सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए प्रभावी सरकारों-निजी साझेदारों और सहयोगपूर्ण कार्य की आवश्यकता है।

आज ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के दौर में भारत को डिजिटल दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए डिजिटल इंडिया सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। देश को नगदी रहित लेन-देन की ओर आगे बढ़ाने के लिए केशलेस भुगतान के कई तरीके उपलब्ध हैं, जैसे:- कार्ड्स(डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड) ई-वालेट, पी.ओ.एस.(पॉइंट ऑफ सेल) आदि। आज अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण तीव्र गति से हो रहा है। वर्तमान में कम्प्यूटर और सस्ते इंटरनेट का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि उच्च तकनीकी, वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल एप्स आदि हमारे दैनिक कार्यों का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं।

देश में केशलेस भुगतान में निरंतर वृद्धि के कारण हमारे देश की वित्तीय लेन-देन से सम्बंधित साइबर सुरक्षा और इसकी तैयारी की ओर अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है।

भारत में वित्तीय बाजार और बैंक क्षेत्र में साइबर हमलों के निम्नलिखित मुख्य प्रकार हैं:-

- **एटोएम और पीओएस मशीन धोखाधड़ी:** एस अपराध में एटोएम एवं पी.ओ.एस. मशीन की सुरक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए मशीन को-पेड़ के ऊपर एक और बनावटी को-पेड़(उपकरण) लगाया जाता है जो वास्तविक को-पेड़ जैसा लगता है जब हम एटोएम का उपयोग करते हैं तो हमारे एटोएम काड के नंबर और हमारा पासवर्ड चोरी कर लिया जाता है जो बाद में गलत इस्तेमाल के लिए काम में लिया जाता है और उपभोक्ता धोखे का शिकार हो जाता है।
- **फिशिंग से सम्बंधित घोटाले:** इसके अंतर्गत हमारे पास फर्जी व्यक्तियों के फोन आते हैं या हमारा ई-मेल व मैसेज बॉक्स में मैसेज आते हैं जो दिखने में वास्तविक से लगते हैं और कई बार हम अपनी निजी जानकारी जैसे निजी पहचान संख्या, मोबाइल पर आया ओ.टी.पी. बैंक खाते से सम्बंधित जानकारी बता देते हैं। इसमें हमारा वित्तीय लेन-देन से सम्बंधित निजी जानकारी धोखे से प्राप्त कर ली जाती है जिसका हम पता भी नहीं चलता है। जिसका परिणाम यह होता है कि हम भविष्य में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।
- **इंटरनेट बैंकिंग का दुरुपयोग:** इसमें इंटरनेट बैंकिंग का गलत फायदा उठाने के लिए हमारे बैंकिंग एप्स की जानकारी को छल से चोरी कर ली जाती है जिसका वाद में दुरुपयोग होता है और हमारे खाते से धनराशि निकाल ली जाती है।

\* Assistant Professor, Department of EAFM, S.D. Government College, Beawar, Rajasthan, India.

- **वित्तीय संस्थाओं और बैंकिंग सिस्टम नेटवर्क में सधमारी:-** इसमें साइबर हमले करने वाले बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के कम्प्यूटर सिस्टम को हैक कर लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनके कम्प्यूटरों का काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे हैकर्स कई बार इन संस्थाओं से मोटी रकम भी वसूल लेते हैं।

केशलेस(डिजिटल) लेन-देन करते समय हम कुछ आवश्यक सावधानियां व सतकता बरतकर साइबर हमलों से बच सकते हैं जो निम्न प्रकार हो सकती हैं:-

- अगर हमारा एटोएम काड गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो इसका सूचना तुरंत सम्बंधित बैंक के कस्टमर केयर पर देकर काड को बंद करवा लेना चाहिए।
- अनेक बार हमारे पास हमारे बैंक खातों का जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी फोन आते हैं, उन्हें हमारा निजी सूचनाएं कभी भी नहीं देनी चाहिए। हमारा बैंक कभी भी खातों का जानकारी नहीं मांगता है।
- हमारे मोबाइल फोन या कम्प्यूटर में कई बार कुछ गलत वायरस हमारा कायप्रणाली व ऑपरेटिंग सिस्टम पर नजर रखते हैं जो हमारा निजी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इनसे बचने के लिए हम कम्प्यूटर व मोबाइल सिस्टम को निरंतर अपडेट करते रहना चाहिए।
- कई बार शोपिंग मॉल में काड से लेनदेन करते समय हमारे काड का जानकारी व्यापारियों के कैमरों में आ जाती है जिसका भविष्य में दुरुपयोग हो सकता है। अतः हम काड से लेनदेन करते समय अपने काड का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए।
- हम कई बार अपने सिस्टम को काम में लेते समय लॉग इन करके भूल जाते हैं, जो गलत है। काय पूरा होने के बाद लॉगआउट कर देना चाहिए।
- साइबर हमले होने का स्थिति में इनका जानकारी तुरंत साइबर क्राइम शाखा और अपने वित्तीय संस्था को जरूर दें।

सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन और साइबर सुरक्षा के लिए सरकार एवं बैंकों ने कई सुरक्षात्मक पहल का है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों और बैंकों को सुरक्षित लेनदेन के लिए समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। साइबर हमलों से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है कि सूचनाएं बैंकों व आम जनता को उपलब्ध करवाता है। भारत सरकार ने भी सूचनाओं पर नजर रखने एवं साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा नीति जारी की है।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि डिजिटल लेनदेन आसान व सुविधापूर्ण तो है, लेकिन इसके उपयोग में हम सावधानी रखनी होगी। आज दुनिया का अधिकतर अथव्यवस्थाएँ डिजिटल लेनदेन का उपयोग कर रही हैं ऐसे में हम भी केशलेस लेनदेन का अधिकारिक उपयोग करना चाहिए। साइबर हमलों से बचने के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करना चाहिए साथ ही जनता को साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी बढ़ानी होगी।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Aparna Viswanathan, Cyber Law Indian & International Perspectives, 189-195, 199, 205, 208, 213, 221 (2012)
- Nandan Kamath, A guide to cyberlaws 301 and 303-305 (2000).
- S.K. Sharma, privacy law: A comparative study (1994).
- Suresh T. Vishwanathan, The Indian Cyber Law, 136, 136-138, 145 and 147- 148 (2000).

